(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री बसंत अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल चन्द अग्रवाल उम्र 44 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड छबडा जिला बारां **(मौके पर मौजुद मालिक व विक्रेता)** मैसर्स अग्रसेन डेली निडस, स्टेशन रोड आजाद सर्किल छबडा जिला बारां। मो0 नं0 9414572147
2. श्रीमति किरण जैन पत्नि श्री मनोज गोलेछा निवासी वार्ड नं0 12 ढोली मौहल्ला छबडा जिला बारां। मैसर्स एम0के0 सेल्स, मैन मार्केट छबडा जिला बारां।
3. श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री झिंगुरिया सिंह निवास 153 राधानगर गोलपुरा तह0 व जिला भरतपुर **(नोमिनि)** मैसर्स कान्हा इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, एफ–60 रिको, ब्रिज इण्डस्ट्रिज एरिया भरतपुर।
4. मैसर्स कान्हा इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, एफ–60 रिको, ब्रिज इण्डस्ट्रिज एरिया भरतपुर।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वयं उपस्थित अप्रार्थीगण (क्रम 1 ता 4)

निर्णय दिनांक 24.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.11.2018 को मैसर्स अग्रसेन डेली निडस, स्टेशन रोड आजाद सर्किल छबडा जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री बसंत अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल चन्द अग्रवाल **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 04.11.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना) 500मी.ली. बोतल पैक** में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना)** मे **मिलावटी व मिथ्याछाप** का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की

सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना) 500 मी.ली. बोतल पैक के मूल 04 बोतले** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी श्री बसंत अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल चन्द अग्रवाल को 400/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री जेनेन्द्र व श्री धमेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **तिल तेल(उपासना) 500मी.ली. बोतल पैक के मूल 04 बोतलो** को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर मूल बोतलों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–879 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–879 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री बसंत अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल चन्द अग्रवाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/233 दिनांक 12.12.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 731/FSSA/Kota/Act/2018/770 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स अग्रसेन डेली निडस, स्टेशन रोड आजाद सर्किल छबडा जिला बारां से पत्रांक 256 दिनांक 19.12.2018 द्वारा फर्म खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रति चाही गई। मैसर्स अग्रसेन डेली निडस द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य रजि0 आवेदन रसीद, आधार कार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई। मैसर्स एम0के0 सेल्स, मैन मार्केट छबडा जिला बारां से पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2019 एवं 16 दिनांक 21.01.2019 द्वारा फर्म खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों प्रति चाही गई। मैसर्स एम0के0 सेल्स द्वारा प्रतिउत्तर में फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी, आधार कार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई। मैसर्स

कान्हा इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, एफ–60 रिको, ब्रिज इण्डस्ट्रिज एरिया भरतपुर के पत्रांक 40 दिनांक 05.02.2019 से सूचना चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, विक्रय बिल, नोमिनि फार्म एवं ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति भिजवाई गई जिसमें श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री झिंगुरिया सिंह निवास 153 राधानगर गोलपुरा तह0 व जिला भरतपुर **(नोमिनि)** पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना) 500 मी.ली. बोतल पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना) 500 मी.ली.** वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी की दुकान से क्रय किया गया था। उक्त **तिल तेल(उपासना)** अप्रार्थी द्वारा निर्मित नही किया जाता था बल्कि एजेन्सी से क्रय किया जाता था। उक्त **तिल तेल(उपासना)** में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की केमिकल इत्यादि की मिलावट नही की गई है। एजेन्सी से प्राप्त माल ही विक्रय किया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी की दुकान भी ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **तिल तेल(उपासना)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को 5,000/– 5000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.06 10:55:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: